

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

63/2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2019/00131

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1.पोलाराम पुत्र रावताराम

2.अगाराम पुत्र रावताराम

जाति मेघवाल निवासी बिठुजा

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

- |   |
|---|
| 1.वीराराम पुत्र पुनमाराम  |
| 2.सांवलराम पुत्र पुनमाराम                                       |
| 3.मोहनराम पुत्र पुनमाराम  |
| 4.आम्बाराम पुत्र पुनमाराम                                       |
| 5.श्रीमति अणसी पत्नी पुनमाराम                                   |
| 6.छगनलाल पुत्र तेजाराम  |
| 7.ओमप्रकाश पुत्र तेजाराम  |
| 8.लक्ष्मी पुत्री तेजाराम  |
| 9.पुष्पा पुत्री तेजाराम   |
| 10.नेमी पुत्री तेजाराम  |
| 11.चुनी पत्नी तेजाराम जाति मेघवाल<br>निवासी बिठुजा तहसील पचपदरा |
| 12.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार<br>पचपदरा                       |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955उपस्थिति

- 1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण
- 2.श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,4,6 व 11
- 3.प्रतिवादी संख्या 2,3,5 व 7 से 10,12 एकतरफा

निर्णय

दिनांक- 27.10.2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा बिठुजा पटवार क्षेत्र बिठुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1203/258 रकबा 13.00 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 07.7.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा



लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बितुजा पटवार क्षेत्र बितुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1203/258 रकबा 13.00 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	वरंग
1	अगराराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	बितुजा	1203/258 1203/258	0.1679 0.1679	बा.अ. बा.अ.	0.46 0.46	गुलाबी
2	पोलाराम पुत्र रावताराम 1/5आम्बाराम मोहनलाल वोराराम सांवलाराम पि. पूनमाराम अणसी पत्नी पूनमाराम हि.10/25 ओमाराम छगनाराम पि. तेजाराम,नेमीदेवी पुष्पादेवी लक्ष्मीदेवी पुत्रियां तेजाराम चुनीदेवी पत्नी तेजाराम हि. 6/15 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार	बितुजा	1203/258 1203/258 1203/258	0.6717 0.1679 0.8400	बा.अ. बा.अ. बा.अ.	1.83 0.46 2.27	बैगनी
3	अगराराम पोलाराम पि. रावताराम 1/3 आम्बाराम मोहनलाल,वोराराम सांवलाराम पि. पूनमाराम अणसी पत्नी पूनमाराम 1/3 ओमाराम छगनाराम पि. तेजाराम नेमीदेवी पुष्पादेवी लक्ष्मीदेवी पुत्रियां तेजाराम चुनीदेवी पत्नी तेजाराम 1/3 कौम मेघवाल सा. देह खातेदार	बितुजा	1203/258	0.0890	बा.अ.	0.24	हरा

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(अशोक कुमार)  
सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा  
27/10/25

सहायक कलेक्टर  
(एस.डी.ओ.)बालोतरा  
27/10/25

निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.  
राजस्व वाद संख्या :- 63/2019  
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2019/00131

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. पोलाराम पुत्र रावताराम
  2. अगाराम पुत्र रावताराम
- जाति मेघवाल निवासी बिटुजा  
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

1. वीराराम पुत्र पुनमाराम
2. सांवलराम पुत्र पुनमाराम
3. मोहनराम पुत्र पुनमाराम
4. आम्बाराम पुत्र पुनमाराम
5. श्रीमति अणसी पत्नी पुनमाराम
6. छगनलाल पुत्र तेजाराम
7. ओमप्रकाश पुत्र तेजाराम
8. लक्ष्मी पुत्री तेजाराम
9. पुष्पा पुत्री तेजाराम
10. नेमी पुत्री तेजाराम
11. चुनी पत्नी तेजाराम जाति मेघवाल  
निवासी बिटुजा तहसील पचपदरा
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 63/2019

निर्णय दिनांक :-27.10.2025

वादीगण की ओर से श्री रुगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1,4,6 व 11 की ओर से श्री वीराराम प्रजापत अधिवक्ता की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादी एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 27.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 27.10.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-----
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस	-----	6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़
	-----		-----



  
 सहायक कलेक्टर  
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा